CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. VIII, Third Session, 2020/1941 (Saka) No. 14, Friday, March 06, 2020/Phalguna16, 1941 (Saka)

<u>SUBJECT</u> <u>PAGES</u>

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 221 to 240

8-73

*Unstarred Question Nos.2531 to 2566, 2568 to 2637, 2639 to 2660, 2663 to 2749 and 2751 to 2760

74-676

^{*} Question No. 2567, 2638, 2661, 2662 and 2750 were deleted due to Suspension Of The Members under Rule 374 of 'Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha'

PAPERS LAID ON THE TABLE	677-678, 687-690
SUBMISSION BY MEMBERS Re: Suspension of Members from the House	679-684
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER Formation of a Committee to inquire into the incidents that took place in the House between 2 nd March, 2020 and 5 th March 2020	686
COMMITTEE ON PETITIONS 1 st to 4 th Reports	691
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 2 nd Report	691
STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 314 th and 315 th Reports	692
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 326 th to 332 nd Reports	692
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 120 th Report	693
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 100 th and 101 st Reports	693

ELECTION TO COMMITTEES All India Institutes of Medical Sciences at Bhatinda, Bibinagar, Bilaspur, Deoghar, Gorakhpur, Guwahati									
Rajkot and Vijaypur	, 693-694								
BUSINESS OF THE HOUSE	694-695								
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – 2019-2020									
Shri Anurag Singh Thakur									
MATTERS UNDER RULE 377	696								
(i) Need to set up a Navodaya Vidyalaya Kanyakumari, Tamil Nadu	in								
Shri H. Vasanthakumar	696								
(ii) Need to reopen Tamil Nadu Magnesite Limited Salem Parliamentary Constituency of Tamil Nadu	in								
Shri S. R. Parthiban	696								
MINERAL LAWS (AMENDMENT) BILL, 2020									
Clauses 3 to 17 and 1	697-698								
Motion to Pass	698								

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE AND INSOLVENCY AND							
BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019							
Motion to Consider	699						
Shrimati Nirmala Sitharaman	699-704						
Clauses 2 to 14 and 1	700-703						
Motion to Pass	704						
ANNEXURE – I							
Member-wise Index to Starred Questions	705						
Member-wise Index to Unstarred Questions							
ANNEXURE – II							
Ministry-wise Index to Starred Questions	713						
Ministry-wise Index to Unstarred Questions							

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

OK	SA	۱B۲	łΑ	DE	EB/	ΔТ	ES
\sim \sim		\	_		,	~ .	-

LOK SABHA

Friday, March 06, 2020/Phalguna 16, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair]

माननीय सभापति: श्री सी. लालरोसांगा जी।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: आप लोग कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan chowdhury and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: मंत्री जी।

...(<u>व्यवधान</u>)

11.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएँगे॥

आइटम नम्बर 2, श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948:-
 - (i) S.O.1555(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2019, notifying the minimum quality standards and conditions for notified kind or varieties of silkworm seed on the recommendation of Central Silkworm Seed Committee for regulating the quality of silkworm seed as per provisions of Section 8(c) of the said Act.
 - (ii) S.O.2801(E) published in Gazette of India dated 5th August, 2019, nominating members from State Governments on the recommendations of the respective states to serve as member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. date of notification, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 4 of the said Act.

(iii) S.O.3713(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2019, nominating Director, Directorate of Sericulture, Government of Uttarakhand, Premnagar, Dehradun on the recommendation of Government of Uttarakhand to serve as a member of the CSB for a period of three years w.e.f. from the date of notification, issued under subsection (3) of Section 4 of the said Act.

- (iv) S.O.4707(E) published in Gazette of India dated 30th December,
 2019, making certain amendments in the Notification No.
 S.O.2801(E) dated 5th August, 2019.
- (v) S.O.4589(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2019, nominating Shri Sanjay Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) duly elected by the House on 06.12.2019 to serve as member of the CBS for a period of three years w.e.f. 06.12.2019 issued under sub-section (3)(c) of Section 4 of the said Act.
- (2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (1) above.

...(Interruptions)

[Placed in Library, See No. LT2169/17/20]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरी छोटी सी बात है ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी करते हैं। Now, Item No. 3, Dr. Harsh Vardhan Ji.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' and Group 'B' Posts Administrative and Non-Technical) (Amendment) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. SERB/RR-Admn/02/2018(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2020 under sub-section (3) of Section 4 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT2170/17/20]

...(Interruptions)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए। मैं अधीर रंजन जी को बोलने का मौका दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग अपने-अपने स्थानों पर चले जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आपको बोलना है तो ask your hon. Members to go to their seats. Kindly take your seats. Shri Adhir Ranjan Chowdhury Ji.

12.03 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Suspension of Members from the House

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, with all humility at my command, I must say that all the respected Members in this House will always pay their honour and reverence to the Chair. We always regard the Chair as the 'Pope of the Vatican'. You are resembling like the 'Pope of the Vatican'. ...(Interruptions). So, we ...(Interruptions)

माननीय सभापति : आप आगे बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, इंटरिफयर क्यों कर रहे हैं ये लोग, मुझे बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान) क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूं...(व्यवधान) We have never entertained any kind of guts and gumptions to dishonour the Chair. सर, कल जो घटना घटी है, हमारे सात मैम्बर्स को निलंबित किया गया। ...(व्यवधान) उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीसिडेंस इस सदन में बनाया गया है। सर, हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी सारी चीजें मीडिया में हैं, सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें हैं। सर, हम लोग सदन में यह मांग करते आए हैं कि दिल्ली रॉयट्स पर चर्चा हो बस, और कुछ नहीं। आप चर्चा नहीं चाहते हैं, यह अलग बात है और हम लोग चर्चा चाहते हैं, यह अलग बात है। लेकिन जहां तक निलंबन का सवाल है उसके बारे में मैं दो-चार बातें जरूर कहना चाहूंगा। सर, एक साथ 7 एमपीज को निलंबित किया गया, लेकिन किस आधार पर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।...(व्यवधान) अगर स्पीकर से कोई पेपर भी छीने...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी परिमशन से बोल रहा हूं। सर, सात एमपीज का सवाल है और वह भी हमारे सदन के सबसे अहम बजट सत्र के लिए सात एमपीज का नदारद रहना और वह भी सस्पेंशन पूरे सत्र के लिए, यह मुझे बहुत पेनफुल लगता है...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि किस आधार पर सात एमपीज को एक साथ निलंबित किया गया है, क्योंकि यह बहुत सारे एमपीज थे। सारी ओपोजिशन पार्टीज यहां मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ सात एमपीज को किस आधार पर निलंबित किया गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, वह भी पूरे सत्र के लिए। सर, जेबकटुआ को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया जा सकता है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं 'कौल एंड शकधर' को रेफर कर रहा हूं।...(व्यवधान) 'एक जेबकटुआ को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया जा सकता है।' मैं 'कौल एंड शकधर' की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) 'कौल एंड शकधर', पेज नंबर 345...(व्यवधान) अरे, रुकिए न। अरे, आप भी तो मेंबर हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनको बोलने दीजिए। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। अभी और तीन मेंबर्स बोलने के लिए हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, सात-सात एमपी निलंबित हो गए हैं। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।...(व्यवधान) जब वे लोग विपक्ष में थे, तब क्या कहते थे, वह भी वीडियो में है।...(व्यवधान) सारा का सारा सदन वॉश आउट हो जाता था, वह सब कुछ वीडियो में है, रिकार्ड में सब कुछ है।...(व्यवधान) Sir, I am quoting from Kaul and Shakdher from page 345:

"A Member shall on being named by the Speaker stand automatically suspended from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the Session whichever is less."

या तो 5 दिन, या फिर पूरे सत्र में जो भी कम है, आप वह दे सकते हैं। यह 'कौल एंड शकधर' कहता है, मैं नहीं कहता हूं। It says:

"A Member shall on being named by the Speaker stand automatically suspended from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the Session whichever is less. The House may, however, at any time on a motion being made resolve that such suspension be terminated."

महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सच यह है कि हमारे विपक्ष के लोगों ने आंदोलन किया था। उसका ट्रिगर क्या था? जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए कहा जा रहा था कि ... , तब वे लोग गुस्से में आ गए। यह ट्रिगर रहा।...(व्यवधान) लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं हुआ है।...(व्यवधान) जो लोग गाली दे रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी। ठीक है, आपकी बात हो गई है। ...(व्यवधान)

_

^{*} Not recorded.

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, उन लोगों का कुछ नहीं होता है और हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है।...(व्यवधान) यह सही नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, seven Members of the Indian National Congress were named yesterday by the Chair. This is not the first time such things have happened in the House. I am here since the 12th Lok Sabha. I have seen such types of incidents but within a day or two the matters had normally been settled. We must admit that we have not seen any arrogance from the Chair up till now. He has always shown patience towards the MPs and the beginning was very good. I apprehend whether the Government is creating pressure upon the hon. Speaker.

I would say from the Opposition Bench that we are all friendly with each other, whether it is this side or that side. We are all colleagues. So, I would request the hon. Speaker to withdraw the suspension. He has every authority. He is the custodian of the House. If he wishes to do so, he can do it. Suspension for the whole Session is a very harsh decision. I would rather say that it is a very unwanted decision. So, my humble submission would be that this suspension should be withdrawn and allow them to attend the Session from tomorrow.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, on behalf of DMK Party and our leader, Shri M.K. Stalin, we request the Speaker to recall this decision. Let me be very clear that all of us are friends here. If the situation has come to a point where Members are protesting, I have never heard that a

Lakshman Rekha being drawn in the middle of the House saying that the Members from this side should not go to the side of Treasury Benches. Ridiculous things are happening in this House.

Sir, we all cooperated when the Minister of Health made a statement on Coronavirus which is a serious thing. But at the same time, we have been demanding a discussion. Fifty people have died in the city of Delhi because of communal violence. The Home Minister has not even come to the House to respond. The Prime Minister has not come to the House. Naturally, the Members will get agitated.

In a democratic system, we have been trying to get the attention of the Chair for all these days but with due respect to the Chair, why is he not allowing us to voice our opinion? The country is based on opinions. So, I would request the Chair to kindly recall this decision.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Chairperson Sir, on behalf of NCP, I stand here with full humility because I do understand that what is happening in the House is not a pleasurable experience and we are not setting a good example for the country either.

Hon. Defence Minister, Shri Rajnath Singh ji is here and I would very humbly like to request him that we would have never reached this logjam provided the discussion was allowed on all the issues that the Members from the Opposition are raising because the Delhi riots issue is exceptionally a critical issue. Had the Government agreed to a good discussion, which we were willing to have very eagerly, to find a *via media*. I do not think that the Opposition is only here to criticise. India is going through a difficult challenge. We are taking a beating. There is an uneasiness in the country. I request that we have a nice healthy discussion in the larger interest of the nation and so I would also like to request the Treasury Benches to walk an extra mile and allow us.

Sir, I think, the suspension is totally disproportionate. I even went and met the hon. Speaker yesterday requesting him about this. It is too long a period. I would like to request him to reconsider his decision and give them a chance.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर अनिप्रसिडेंटिड सिचुएशन में उनको यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कल जो कृछ भी सदन में हुआ है, हम अधीर रंजन चौधरी जी की बात सून रहे थे, निलंबन रद्ध करना,

निलंबित रखना, यह माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। लेकिन कल जिस तरह से हुआ, हम नहीं समझते हैं कि लोकतंत्र में ऐसी परिस्थित की आवश्यकता है। पहले भी विरोध होता रहा है। मुझको भी 14वीं लोक सभा से यहां रहने का मौका मिला है। मैंने भी देखा है, हम जब इधर थे, तब भी हम लोगों ने देखा है कि हम वेल के अंदर आ कर विरोध करते थे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी जो कह रहे हैं, उसमें अपने आप में कई विरोधाभास हैं। एक हैं, वे कह रहे थे कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज बता रही हैं कि आप आसंदी के ऊपर चढ़ कर, सीढ़ी पर चढ़ कर, अध्यक्ष को, चेयर को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जेबकटुआ को फांसी की सजा, तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि आपने गलती की है। ...(व्यवधान) एक मिनट हमें अपनी बात खत्म करने दीजिए, आपकी बात सुन ली थी। ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि माननीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है और माननीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे लेकिन विपक्ष को भी आश्वस्त करना होगा क ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे।

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : माननीय सभापित महोदय, मेरा कहना है कि यह निर्णय अध्यक्ष को लेना है और अध्यक्ष इस पर निर्णय लें, लेकिन विपक्ष को भी सदन में अध्यक्ष को, आसन को, यह आश्वस्त करना होगा कि भविष्य में हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) यह आश्वस्त करना होगा। ...(व्यवधान) यह लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापित महोदय, राजीव रंजन जी ने जो कहा, 14वीं लोक सभा और 15वीं लोक सभा में पूरी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन प्रत्येक दिन यहां वेल में आ कर हंगामा करते थे। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुरेश जी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुवे: सभापित महोदय, ऐसा हुआ कि 6-6 बिल, 7-7 बिल इन लोगों ने पास किए, लेकिन हमने कभी भी स्पीकर की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया। उनका पेपर नहीं छीना। जो अधीर चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस 'कौल और शकधर' की बात कर रहे हैं, इस सदन में 01.12.1960, 07.12.1960 और 08.12.1960 को तीन दिन लगातार डिबेट हुई कि किस तरह से ग्रॉस इनडिसिप्लेन को रोका जाए, और मेंबर्स को रोकने के प्रयास में किस तरह की कार्यवाही की जाए। उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे, आप ही लोगों ने इस सदन से यह कानून बनवाया कि मिनिमम पांच दिन के लिए और यदि होता है तो 374(2), रूल पढ़ लीजिए, यह रूल है 374(2) जिसमें है कि पूरे सदन से बाहर करना चाहिए। ...(व्यवधान) इसीलिए मेरा आपके माध्यम से स्पीकर साहब से आग्रह है कि इस तरह की किसी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाना चाहिए। ...(व्यवधान)एक जॉइंट कमेटी बनानी चाहिए। ...(व्यवधान) जो मेंबर इस तरह की घटना करते हैं, उनको पूरे पांच साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव इस सदन में आना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुरेश जी, बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए।

माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर,में सरकार की तरफ से, माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से, हमारे माननीय उप नेता राजनाथ सिंह जी की तरफ से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई अपोजिशन मैम्बर को बाहर रखकर कार्यवाही चलाने की हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन मुझे तो यह दु:ख हुआ, मैं स्वयं अपने जीवन की पार्लियामेंट की एक घटना बताता हूँ।

जब माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, माननीय आडवाणी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे और लीडर ऑफ द हाउस तब प्रणब मुखर्जी थे। मैं एक दिन खुद इस तरफ आया और प्रणब दा ने मुझे बोला कि आपको उस तरफ जाना चाहिए। आडवाणी जी ने मुझे खुद बुला कर सब के सामने यह कहा कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। हमारे एक सदस्य ऐसे स्टेप के ऊपर चढ कर. स्पीकर के सामने एक स्टेप चढ़ कर...(व्यवधान) कृपया स्निए। आराम से आपने भी बात की, हमने भी बात की, एक मिनट इतना ही सुनिए। आडवाणी जी ने तब भी कहा कि ऐसे स्टेप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इसके अलावा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कल हुआ, यह आज़ादी के 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ था।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, कृपया पूरा स्निए। जो चेयर पर थे...(व्यवधान) रमेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप चुप बैठना। जो स्पीकर का अधिकार है, स्पीकर का प्रॉपर्टी है, वह पेपर छीन कर, फाड़ कर फेंकना और स्वयं जब स्पीकर थे, तब की आप वीडियो क्लिपिंग देख लीजिए। स्पीकर के ऊपर से फेंक रहे हैं। यह सब मीडिया में आ रहा है। मुझे यह भी दु:ख हुआ, गौरव गोगोई और छ: साथी हमारे अपोजिशन मैम्बर्स हैं, हमारा पूरा सम्मान है। उनको जेब काटने वाले से कम्पेयर करना भी एक अजीब बात है। It is most unfortunate.

...(Interruptions) जेब काटने वाले...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने कहा था कि छोटे काम में बड़ी सज़ा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रहलाद जोशी: अधीर रंजन जी, सुनिए। उन्होंने गलती की होगी।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seat.

... (Interruptions)

श्री प्रहलाद जोशी : अंग्रेजी में 'पॉकेटमार' बोलते हैं। ऐसा कम्पेयर करना ठीक नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ। I do not agree with it, comparing those people with *pocket maar.* I do

not agree with that and having said that ...(Interruptions) मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व स्पीकर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जब सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, उन्होंने 45 मैम्बर्स को सस्पेंड किया। यह सब रिपोर्ट है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो माननीय राजनाथ सिंह जी...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अधीर रंजन जी, यह सब आपका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मंत्री जी जो बोलेंगे, वही रिकॉर्ड में जाएगा। आप बैठ जाइए। अधीर जी, आपको लोगों ने सुना है।

श्री प्रहलाद जोशी: स्वयं स्पीकर ने उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग करके यह कहा कि इस तरफ जो क्रॉस करके आते हैं, मैं उन मैम्बर्स को सस्पेंड करूँगा। फिर भी इधर आकर, जब जायसवाल जी भाषण कर रहे थे, इधर तक आ गए। स्पीकर के ऊपर पेपर फेंका गया और जब आप बैठे थे, आपके ऊपर पेपर फेंका गया। कल जब रमा देवी जी बैठी थी, पूरे पेपर्स छीन कर ले गए। क्या सदन चलाने का यह तरीका है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

अंत में, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने वर्ष 2007 से 2010 तक हंगामे में 18 नॉर्मल बिल्स पारित किए। अधीर रंजन जी, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी। हमारे दो ऑर्डिनेंस हैं।आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो ये ऑर्डिनेंस पारित करने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपने बिल पेश नहीं किया?...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : नहीं किया।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : नहीं किया?...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : कल नहीं हुआ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी को स्निए।

_

^{*} Not recorded.

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपने किया या नहीं?...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: हमने इनको रिक्वेस्ट की थी।...(व्यवधान) इन्होंने यह कहा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)... *

श्री प्रहलाद जोशी: अधीर रंजन जी ने कल एक बिल लेने के लिए कहा।...(व्यवधान) एक ऑर्डिनेंस लेने के लिए कहा।...(व्यवधान) हम एग्री हुए।...(व्यवधान) We agreed for passing one Ordinance yesterday and another Ordinance today. We accepted his suggestion and when it was just to be passed, they just snatched the papers from the hon. Speaker. Was it right, Sir? ...(Interruptions)

मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी सुनिए।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी सुनिए।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, कृपया आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मेरी पूरी बात सुनिए।...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इनको बोलने को कहा है। हमें सुनना पड़ेगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रहलाद जोशी: मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस का डिस्कशन चल रहा था।...(व्यवधान) किसी भी आदमी ने किसी के नेता के ऊपर जो टिप्पणी की, उस समय जो चेयर पर थे, उनके द्वारा उसे रिकॉर्ड से तुरन्त निकाला गया।...(व्यवधान) तुरन्त उसे निकाला गया।...(व्यवधान) देखो जी, बहुत सारे मेंबर्स बोलते-बोलते हुए ऐसा बोलते हैं।...(व्यवधान) वह

^{*} Not recorded.

एक्स्पन्ज हो जाता है।...(व्यवधान) वह एक्स्पन्ज हो जाता है।...(व्यवधान) आप लोगों ने भी बहुत बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ, माननीय अमित शाह जी के खिलाफ ऐसे अनाप-शनाप बात की है।...(व्यवधान) फिर भी उन लोगों का आपने कुछ नहीं किया।...(व्यवधान)

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि नियम 374(1) और नियम 374(2) में यह स्पष्ट है।...(व्यवधान) पहले भी जब मीरा कुमार जी स्पीकर थीं, रिमेंडर सेशन के लिए 45 लोगों को बाहर किया गया था।...(व्यवधान) फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह जी का और प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का आदेश हुआ है कि स्पीकर जो निर्णय करेंगे, वह हमें मंजूर है, लेकिन सदन में ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत ऊँची परम्परा रही है। ...(<u>व्यवधान</u>)

12.22 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Formation of a Committee to inquire into the incidents that took place in the House between 2nd March, 2020 and 5th March, 2020

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय एक समिति का गठन करेंगे।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय एक समिति का गठन करेंगे। वह समिति दिनांक 02 मार्च, 2020 से 05 मार्च, 2020 तक सदन में घटी सभी घटनाओं की जाँच करेगी और रिपोर्ट देगी। समिति की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष महोदय जी स्वयं करेंगे। इस समिति में लगभग सभी दलों के प्रतिनिधियों का समावेश होगा।

12.24 hrs

At this stage Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(<u>व्यवधान</u>)

12.25 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE - Contd...

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 4, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी।

...(व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुँ:-

- (1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) भर्ती बोर्ड की स्थापना नियम, 2020, जो 12 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं**0** सा**0**का**0**नि**0** 107(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद भर्ती नियम, 2019, जो 6 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं**0** सा**0**का**0**नि**0** 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2171/17/20]

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। निर्णय हो चुका है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप थोड़ा धीरज रखिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2172/17/20]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2018-2019.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2173/17/20]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2018-2019,

alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2018-2019.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2174/17/20]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2175/17/20]

- (3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2176/17/20]

- (5) (एक) जवाहर लाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुदुचेरी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जवाहर लाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुदुचेरी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2177/17/20]

- (7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2178/17/20]

- (9) (एक) इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2179/17/20]

(11) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2180/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:-

- The Amalgamation of Oriental Bank of Commerce and United Bank of India into Punjab National Bank Scheme, 2020 published in Notification No. G.S.R.153(E) in Gazette of India dated 4th March, 2020.
- The Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 published in Notification No. G.S.R.154(E) in Gazette of India dated 4th March, 2020.
- The Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank Scheme,
 2020 published in Notification No. G.S.R.155(E) in Gazette of
 India dated 4th March, 2020.
- The Amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank Scheme,
 2020 published in Notification No. G.S.R.156(E) in Gazette of
 India dated 4th March, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 2181/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2018-2019.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2182/17/20]

12.26 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS Ist and 4th Reports

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

- (1) शिक्षा के मौलिक अधिकार और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम, 1985 के कथित उल्लंघन तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डॉ. अमित कंसल से प्राप्त अभ्यावदेन के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लोक उद्यम विभाग(डीओपीटी/डीपीई) के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के बारे में श्री सुरेश सी. अंगड़ी संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री डी.शिवमूर्ति के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा अपने 48वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल), रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री राम टहल चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री मधुबन यादव और अन्य के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा अपने 57वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) नैनीताल बैंक लिमिटेड-बैंक ऑफ बड़ौदा की एक अनुषंगी कंपनी के डिजिटल वेंचर के बहाने प्रस्तावित विक्रय के बारे में सुश्री निशा कामत और नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (16वीं लोक

सभा) द्वारा अपने 59वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

12.26^{1/4} hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 2nd Report

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.26 ^{1/2} hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 314th and 315th Reports

डॉ. ढालिसंह बिसेन (बालाघाट): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी सिमिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 100) के बारे में 314वां प्रतिवेदन।
- (2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 101) के बारे में 315वां प्रतिवेदन।

12.26 ^{3/4} hrs

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 326th to 332nd Reports

डॉ. आर.के. रंजन (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 326वां प्रतिवेदन।
- (2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 327वां प्रतिवेदन।
- (3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 328वां प्रतिवेदन।
- (4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 329वां प्रतिवेदन।
- (5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 330वां प्रतिवेदन।
- (6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 331वां प्रतिवेदन।
- (7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में 332वां प्रतिवेदन।

12.27 hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 120th Report

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Sir, I beg to lay on the Table the 120th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of AYUSH.

12.27 ^{1/4} hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

100th and 101st Reports

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:-

- (1) One Hundredth Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- (2) One Hundred-first Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Law and Justice.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, इसको हटा लीजिए। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

12.27 ½ hrs

ELECTION TO COMMITTEES

All India Institutes of Medical Sciences at Bathinda, Bibinagar, Bilaspur, Deoghar, Gorakhpur, Guwahati, Rajkot And Vijaypur

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR.

HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move the following:-

"That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 read with Section 6 of the AIIMS (Amendment) Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to each of the eight All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) at Bathinda, Bibinagar, Bilaspur, Deoghar, Gorakhpur, Guwahati, Rajkot and Vijaypur, subject to the other provisions of the said Act."

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित एम्स अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के

अन्य उपबंधों के अध्यधीन भटिंडा, बीबीनगर,बिलासपुर,देवघर,गोरखपुर,गुवाहाटी, राजकोट और विजयपुर स्थित आठ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में प्रत्येक में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.28 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Wednesday, the 11th of March, 2020 will consist of :-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains (i) Further discussion on statutory Resolution seeking disapproval of the Minerals Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 1 of 2020) and further consideration and passing of the Minerals Laws (Amendment) Bill, 2020 – To replace an Ordinance, (ii) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency & Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 16 of 2019) and consideration and passing of the Insolvency & Bankruptcy Code (Second) Amendment) Bill, 2019 – To replace an Ordinance, (iii) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for 2020-21, (iv) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Tourism for 2020-21 (v) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and

Family Welfare for 2020-21 (vi) Consideration and passing of the Aircraft (Amendment) Bill, 2020]

- 2. Discussion & Voting on Demands for Grants of the following Ministries for 2020-21:-
 - (i) External Affairs
 - (ii) Housing and Urban Affairs
 - (iii) Railways

12.28 ^{1/2} hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – 2019-2020

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, on behalf on my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants – Second Batch for 2019-20.

[Placed in Library, See No. LT 2183/17/20]

12.29 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए।

...(व्यवधान)

(i) Need to set up a Navodaya Vidyalaya In Kanyakumari,

Tamil Nadu

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Kanyakumari is the smallest district in Tamil Nadu. There is a mushroom growth of educational institutions managed by private sector but in schools where quality education is imparted, the fees are so high that poor parents are not able to send their wards. As a result, the poor students are not able to compete with others and not able to pass any examination for getting jobs and they have to contend with whatever job they get. In every State, Jawahar Navodaya Vidyalaya has been set up but unfortunately, in Tamil Nadu there is no such school. There is enough land available in Kanyakumari and I request the Government to set up a Navodaya Vidyalaya in Kanyakumari. The school should be residential school and students should have the option to learn in mother tongue that is Tamil instead of Hindi. I request the Government to take necessary action at the earliest.

_

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to reopen Tamil Nadu Magnesite Limited in Salem Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Tamil Nadu Magnesite Limited was formed in January, 1979. For protecting the Magnesite Mineral ore, this Magnesite Plant plays an important role in the socio-economic development of Salem district.

Now, this mine is closed for the last 3 years because of not getting the Central Government Environmental licence.

As are sult, 1500 workers lost their jobs and more than 1000 people have been affected indirectly.

Government has lost hundreds of crores of rupees in the form of Royalty, Sales Tax and Foreign Exchange.

Therefore, both Central and State Governments must come forward to reopen the environmentally non-vulnerable and non-toxic Magnesite mine.

12.30 hrs

Minerals laws (Amendment) Bill, 2020

Clause 3 Amendment of Section 5

माननीय सभापति : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा कल दिनांक 5 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1 को लिया जा रहा है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(<u>व्यवधान</u>)

Clause 4 Amendment of Section 8A

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 29,--

after "lease period"

insert "with the prior permission of the Central Government". (2)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 5 Insertion of New Section 8B

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 39,--

after "two years"

insert "if the lessee has strictly complied with the terms and conditions or the licence and has not violated any provisions of law during the period for which licence was issued". (3)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Twelve of the Clock.

12.45 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Forty Five Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*) ...(व्यवधान)

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE AND INSOLVENCY

AND

BANKRUPTCY CODE (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आइटम नम्बर 20 और 21 साथ-साथ लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री मनीष तिवारी:

श्री अधीर रंजन चौधरी;

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन;

श्री विनायक भाउराव राऊत।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy

Code, 2016, be taken into consideration."

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने के लिए विधयेक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Section 5

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी ने खंड 2 पर एक संशोधन की सूचना दी है जबिक त्रुटि,शुद्धि पत्र द्वारा पहले ही सुधार दी गई है। संशोधन संख्या 4 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है:

" कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Amendment of Section 7

Amendments made:

'Page 2, line 10,--

after "resolution process"

insert "against the corporate debtor". (5)

'Page 2, line 14,--

after "resolution process"

insert "against the corporate debtor". (6)

'Page 2, line 22,--

for "(Second Amendment) Act, 2019"

substitute "(Amendment) Act, 2020". (7)

'Page 2, line 23,--

for "and"

substitute "or". (8)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

" कि खंड 3, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 3, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5

Amendment of Section 14

Amendments made:

'Page 2, line 46,--

for "The supply of goods or services that"

substitute "Where". (9)

Page 2, line 47,--

after "considers"

insert "the supply of goods or services". (10)

Page 3, line 2,--

for "if"

substitute "where". (11)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 10 Insertion of New Section 32A

Amendment made:

Page 4, line 2,-

after "2008"

insert "or" (12)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राया

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.13* to the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.13* to the

^{*} Vide Amendments List No. 1 circulated on 4.3.2020.

Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 14

Repeal and saving

Amendment made:

Page 5, after line 11, insert,—

Repeal and

"14. (1) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment)

Ord. 16 of

savings. Ordinance, 2019 is hereby repealed.

2019.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Code, as amended by this Act.". (13)

31 of 2016.

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"िकनया खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1

Short Title and Commencement

Amendments made:

Page 1, lines 2 and 3,-

for "(Second Amendment) Act, 2019"

substitute "(Amendment) Act, 2020". (2)

Page 1, for lines 4 to 8,-

substitute "(2) It shall be deemed to have come in force on the

28th day of December, 2019.". (3)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

ENACTING FORMULA

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventieth Year"

substitute "Seventy-first Year". (1)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 मार्च के 11 बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

12.54 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 11, 2020/Phalguna 21,1941 (Saka)
